प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–औरैया, आगरा, अम्बेडकर नगर, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बरेली, चन्दौली, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जे0पी0 नगर, कानुपर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखनऊ, महोवा, मैनपुरी, मेरठ, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, संतकबीर नगर, श्रावस्ती, सीतापुर, सोनभद्र एवं सुल्तानपुर।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NSSK/18–12/2015–16/ 5465-35 **दिनांक** 19 **/09/2016**

विषय–नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) का जनपद स्तरीय 2 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एवं गतिविधियॉ चलाई जा रही हैं। यथा जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम आदि।

शिशु मृत्युदर में नवजात शिशु मृत्युदर का प्रतिशत काफी अधिक होता है। जनपद के 24 घन्टे प्रसव सेवा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रसव कक्ष में तैनात चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को नवजात शिशु की विशेष सुरक्षा प्रदान करने तथा क्षमतावर्द्धन के लिये 2 दिवसीय नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) का प्रशिक्षण वर्ष 2010–11, वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में प्रदान किया जा चुका है।

जनपदों में भ्रमण के मध्य यह संज्ञान में आया कि कुछ स्वास्थ्य इकाईयों के स्टाफ के स्थानान्तरित, सेवानिवृत होने तथा स्किल में और सुधार लाने के दृष्टिगत उक्त कौशल प्रशिक्षण को पुनः रिफ्रैशर प्रशिक्षण के रूप में प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को प्रदान किया जाये जिसमें रेडियेन्ट वार्मर के उपयोग एवं बैग एण्ड मास्क के रखरखाव पर विशेष बल दिया जाये।

नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) के अर्न्तगत जनपद में 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जाने के दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं, जो निम्नवत हैं –

<u>नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) का जनपद स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश</u>

1–प्रशिक्षण स्थल का चयन

- नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम **(NSSK)** का जनपद स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण ज़िला महिला चिकित्सालय में दिया जायेगा।
- प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिये ऐसी जगह की व्यवस्था की जाए जहाँ 8–8 प्रतिभागियों तथा 3 प्रशिक्षकों को बैठने के लिये 3 ऐसे कमरे उपलब्ध हों जहॉ बिजली आदि की समुचित व्यवस्था हो। प्रशिक्षण अलग–अलग ग्रुप में दिया जायेगा, मगर कभी–कभी आवश्यकतानुसार सभी प्रतिभागियों को एक ग्रुप में बैठा कर भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- प्रशिक्षण में 3 स्किल स्टेशन बनाने हैं, मतलब यह कि एक बड़ी मेज़, 8–8 कुर्सियॉ प्रतिभागियों के लिये तथा 1–2 कुर्सी प्रशिक्षक के लिये जिससे कि डिमॉन्सट्रेशन अच्छी तरह से किया जा सके।
- यदि जिला महिला चिकित्सालय में स्थान की कमी हो तो ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र में व्यवस्था की जाये परन्तु रेडियेन्ट वार्मर एवं प्रसव कक्ष में प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री के लिये प्रतिभागियों को जिला महिला चिकित्सालय ले जा कर उनको वास्तविक सामग्री का प्रर्दशन कराया जाये।
- प्रशिक्षण बैच में अधिकतम 24 प्रतिभागी भाग ले सकते है। प्राथमिकता के अनुसार एक्रिडेटिड उपकेन्द्र/Level-1 Centers को संत्रप्त किया जाये। जिला महिला चिकित्सालय/सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर यदि कोई स्टाफनर्स व ए0एन0एम0 जिन्होंने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा नहीं प्राप्त किया सभी को **रिफ्रैशर प्रशिक्षण** के लिये आमंत्रित किया जाये इस वर्ष जिला महिला

चिकित्सालस/सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्टाफ किसी भी दशा में अप्रशिक्षित न रह जाये।

- जनपद स्तर पर NSSK प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर से राय–मशवरा कर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लें।

2–प्रशिक्षकों का चयन एवं प्रशिक्षण –

- राज्य स्तर से प्रत्येक बैच के लिये 1–2 प्रशिक्षकों का चयन कर नाम व सम्पर्क दूरभाष संख्या अवगत करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में पूर्व में प्रशिक्षित 4 प्रशिक्षकों में से 2–3 प्रशिक्षिक को लिया जायेगा, इस प्रकार से कुल 4 प्रशिक्षकों द्वारा एक सत्र को संचालन किया जायेगा।
- यह प्रशिक्षण मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला चिकित्सालय द्वारा नोडल अधिकारी प्रशिक्षण/आर0सी0एच0 के सहयोग से प्रशिक्षण पूर्ण कराया जायेगा।
- स्थानीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण के दौरान अन्य कार्यों से मुक्त रहेंगे तथा प्रशिक्षण में पूर्ण समय देंगे तथा समय से प्रतिभाग करेंगे।

3–प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना

- प्रतिभागियों को प्रशिक्षण मॉड्यूल, उपलब्ध कराये जायेंगे। माड्यूल के अतिरिक्त फोल्डर ,पेन, पेन्सिल, रबर, कटर, पैड, प्रमाण पत्र, अन्य प्रशिक्षण सम्बन्धी पत्र–प्रपत्र आदि की व्यवस्था कन्टिजेन्सी मद से समय से कर ली जाय।
- प्रशिक्षण के दौरान प्री–टेस्ट, पोस्ट–टेस्ट, किया जायेगा। प्रपत्रों की फोटोस्टेट कॉपी तैयार कर ली जाये। सभी प्रतिभागियों के प्री एवं पोस्ट टेस्ट के अंक रजिस्टर में दर्ज कर समीक्षा की जाये।
- प्रशिक्षण से पूर्व संलग्न तालिका के अनुसार प्रशिक्षण सामग्री आदि की समुचित व्यवस्था कर ली जाये।
- प्रशिक्षण के लिये मेंनीक्वीन एवं मॉड्यूल की व्यवस्था **"सेव द चिल्ड्रन"** द्वारा की जा रही है। यदि पूर्व में उपलब्ध कराई गयी मेंनीक्वीन उपलब्ध हों तो उनको भी प्रशिक्षण में उपयोग में लाया जाये।
- **प्रशिक्षण के समय एल0सी0डी0 प्रोजेक्टर की आवश्यकता होगी जिसे किराये पर IOH (Institutional overhead) मद में उपलब्ध धनराशि से व्यय किया जा सकता है।**

4–प्रतिभागियों का चयन–

- प्रतिभागियों का चयन सबसे महत्वपूर्ण है।
- जनपद में 24 घन्टे प्रसव सेवा वाले जिला महिला चिकितसालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ चयनित उपकेन्द्र के पूर्व में प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित स्टाफ नर्स एवं एक्रिडेटिड उपकेन्द्र/Level-1 Centers पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मी (ए0एन0एम0) की सूची तैयार कर ली जाय। **अन्य उपकेन्द्र जहॉ डिलवरी नहीं हो रही हैं उन ए0एन0एम0 को इस प्रशिक्षण में अग्रिम आदेशों तक न बुलाया जाय।**
- प्रतिभागियों को बैचवार सूचीबद्ध कर लिया जाये तथा प्रशिक्षण कलैन्डर के अनुसार प्रतिभागियों को समय से सूचित कर दिया जाय।
- यदि किसी कारण से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतिभागी नहीं आये हों तो जिला महिला चिकित्सालय से प्रतिभागियों को बुलाया जाये।
- प्रशिक्षकों का यह दायित्व होगा कि प्रशिक्षण आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि कोई भी प्रतिभागी एसे स्थान से न आयें जहॉ डिलीवरी नहीं होती है यदि कोई प्रतिभागी एसे स्थान से आ गयी हों जहॉ डिलवरी नहीं होती है तो उन्हें वापस भेज दें तथा राज्य स्तर के अधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित कर दें।

5–ओस्की (Objective Structured Clinical Examination)

प्रशिक्षण के आरम्भ में सभी प्रतिभागियों की प्रसव केन्द्रों पर तैनाती की जानकारी करते हुये समय से ही ओ0स्की0 (Objective Structured Clinical Examination) अवश्य करें तथा अभिलेख को सुरक्षित रखें। प्रशिक्षण के उपरान्त भी ओ0स्की0 परीक्षण किया जाना है।

6– ज़िला मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका के दायित्वः–

यह प्रशिक्षण ज़िला महिला चिकित्सालय में चलाया जाना है, अतः नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को आयोजित करने एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सभी व्यवस्था को नोडल अधिकारी प्रशिक्षण/सी0सी0एस0पी0 प्रशिक्षण प्राप्त नामित अधिकारी के सहयोग से प्रशिक्षण आयोजन से पूर्व तैयारी करेंगी जिसमें बैठने, खाने पीने, तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता हेतु सभी आवश्यक लॉजिस्टिक एवं अन्य की व्यवस्था पूर्ण करेंगी। यदि वे मेडिकल कॉलेज में उक्त का प्रशिक्षण प्राप्त हैं, तो उपरोक्त की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण टीम में प्रतिभागियों को स्किल प्रशिक्षण दे सकती हैं।

7– नोडल अधिकारी प्रशिक्षण/सी0सी0एस0पी0 प्रशिक्षण प्राप्त नामित अधिकारी के दायित्वः–

अवगत कराना है कि प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण मॉडयूल की व्यवस्था की जा रही है। प्रशिक्षण मॉड्यूल को प्रशिक्षण से पूर्व ज़िला मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका को उपलब्ध करा दें। पत्र में दिये गये दिशा निर्देशानुसार प्रशिक्षण से पूर्व आवंटित धनराशि मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका ज़िला महिला चिकित्सालय को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर अवमुक्त करा दें, जिससे कि प्रशिक्षण के संचालन में किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। प्रशिक्षण बैचों मे आने वाले **प्रतिभागियों को समय से सूचीबद्ध कर लें।** प्रतिभागियों को निर्देशित कर दें कि चूँकि उक्त प्रशिक्षण केवल दो दिन का है अतः सभी प्रतिभागी प्रातः 9:00 से सांय 5:30 तक अपनी उपस्थित सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थित में उन्हें वापस कर आगामी बैच हेतु आमन्त्रित करें।

8– राज्य स्तर से नामित प्रशिक्षक एवं ज़िला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के दायित्वः–

प्रत्येक जनपद में 4 प्रशिकों को को टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण दिलाया गया है, इस प्रकार से जनपद स्तर पर 4 जनपदीय प्रशिक्षक उपलब्ध हैं। कहीं–कहीं 4 से कम भी प्रशिक्षक उपलब्ध हैं। व्यवस्था इस प्रकार से की जा रही है कि प्रत्येक बैच में कुल 4 प्रशिक्षक होंगे जिसमें से 1 प्रशिक्षक राज्य स्तर से नामित प्रशिक्षक होंगे तथा 3 प्रशिक्षक जनपदीय कुल 4 प्रशिक्षक होगें। प्रशिक्षण से पूर्व तीनों प्रशिक्षक आपस में प्रशिक्षण की तैयारी जैसे स्थान, लॉजिस्टिक, प्रशिक्षण किट तथा अन्य व्यवस्था को चेक कर लें एवं प्रशिक्षण आरम्भ करने से 1–2 दिन पूर्व प्रशिक्षण स्थल पर पहुँच कर प्री–टेस्ट एवं अन्य प्रोफॉर्मा आदि को व्यवस्थित कर लें। आपस में तालमेल हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल को पूर्व में अध्ययन कर प्रशिक्षण की कार्ययोजना आपस में समझ लें।

9–वित्तीय दिशा निर्देश

- प्रशिक्षण के संचालन की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला चिकित्सालय की होगी। प्रशिक्षण की सम्पूर्ण आवंटित धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति से मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला चिकित्सालय द्वारा खोले गये खाते में समय से स्थानान्तरित कर दी जाये, जिससे प्रशिक्षण में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
- इस कार्यालय के पत्र संख्या–**एस0पी0एम0यू0/CH/NSSK/18–12/2015–16/10455–35, दिनांक 15/02/2016 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा आपके स्तर पर इस धनराशि को वर्ष 2016–17 में व्यय करने हेतु कमिटेड किया जा चुका है।**
- प्रशिक्षको एवं प्रतिभागियों का मानदेय का भुगतान तालिका में दी गयी दर से किया जाना है।
- बाहर से आने वाले प्रशिक्षकों को यात्रा भत्ता एवं ठहरने का भुगतान नियमानुसार वास्तविक व्यय के अनुसार तालिका में दी गयी सीमा तक किया जायेगा, प्रमाण स्वरूप टिकट आदि सुनिश्चित कर ली जाय।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों एवं प्रशिक्षकों को नाश्ता, दो समय की चाय, दोपहर का भोजन, स्वच्छ पेय जल, की समुचित व्यवस्था की जानी है जिसके लिये प्रति प्रतिभागी प्रति दिन के हिसाब से रू0 250/– की धनराशि दी जा रही है।
- कन्टीजेन्सी मद में रू0 150/– प्रति प्रतिभागी प्रति दिन के अनुसार प्राविधानित है।

प्रशिक्षण हेतु मानक

जनपद स्तरीय 2 दिवसीय रिफ्रेशर अवमुक्त की गयी धनराशि को निम्न तालिकानुसार व्यय किया जाना है–

Budget Norm for Organizing 3 Days Refresher Training of NSSK 2016-17					
S. N.	Head	Unit Cost	No. of Units	No. of Days	Total Amount (Rs.)
1	Honorarium to Guest trainers (Nominated from State)	1000	1	2	2000
2	Honorarium to Guest trainers (Local Trainers)	600	3	2	3600
3	Accomodation to State Guest trainers - as per actuals	2000	1	2	4000
4	Honorarium to participants -S/N and ANM	300	24	2	14400
5	Refreshment (Lunch & tea and Dinner)	250	24	2	12000
6	Contingency (Including POL, Stationary etc)	150	24	2	7200
7	TA to Guest trainers (Maximum , but as per actual)	2500	1	1	2500
8	TA to participants -as per actuals	250	24	1	6000
9	IOH (Incidental Overhead) 15 %		1	1	6400
I	**Total**				**58100**
	Note: In one batch 24 participants will be invited for the NSSK Trained SN & ANMs				
Observer Visits per batch -only in about 25 percent of total batches organized in a year					
1	Honorarium to state/divisional observer	1000	1	1	1000
2	Accomodation to state/divisional observer	2500	1	1	2500
3	TA for observer (as per actual)	3500	1	1	3500
II	**Total**				**7000**
	Grand Total				**65100**

नोटः–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशानिर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी** एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।

9. प्रत्येक माह नवजात शिशु सुरक्षा (NSSK) कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0 एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–

नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण नोडल अधिकारी प्रशिक्षण/समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम (सी0सी0एस0पी0) के जनपदीय नोडल अधिकरी द्वारा किया जाये।

- नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) के अन्तर्गत जनपद में 2–दिवसीय प्रशिक्षण के गुणवत्ता बनाये रखने के लिये मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा समय समय पर केन्द्र का अनुश्रवण करेंगे। परिवार कल्याण महानिदेशालय, एवं एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 के अधिकारियों तथा यूनिसेफ/सेव द चिल्ड्रेन/टी0एस0यू0 के प्रतिनिधियों द्वारा द्वारा भी औचक निरीक्षण किया जायेगा।
- उक्त प्रशिक्षण को नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी अपने नेतृत्व में प्रशिक्षण सत्र को सफलता से संचालित करायेंगे। प्रतिभागियों/ट्रेनर्स के टी0ए0/डी0ए0 का समुचित नियमानुसार भुगतान करेंगे। प्रतिभागियों/मास्टर ट्रेनर्स को उनके ठहरने के लिये फेसिलीटेट/व्यवस्था करने में सहयोग करेंगे। **संलग्न प्रारूप** पर भौतिक एवं वित्तिय रिपोर्ट **एक सप्ताह के अन्दर** मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजी जाय, जिसकी एक प्रति परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं एस0पी0एम0यू0–एन0एच0एम0 को भेजी जाय।
- प्रशिक्षण कोर्स रिपोर्ट/प्रतिभागियों का फीडबैक/अन्य टिप्पणी व्यय विवरण के साथ भेजी जाय।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NSSK/18–12/2015–16/ दिनांक /09/2016

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. **महानिदेशक,** परिवार कल्याण, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
3. **सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
4. **सम्बन्धित प्रमुख/मुख्य** चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/सुयक्त चिकित्सालय को इस अनुरोध के साथ कि वे मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण को पूर्ण करायें।
5. **वित्त नियंत्रक,** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश।
6. **सम्बन्धित मण्डलीय/जनपदीय** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
7. **सम्बन्धित** जनपदीय स्तरीय नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) प्रशिक्षक।
8. **राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक,** सेव द चिल्ड्रेन, 2/328 विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
9. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ**, बी–3/258,विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

नवजात शिशु सुरक्षा कार्यकम (NSSK) का जनपद स्तरीय 2 दिवसीय रिफ्रैशर प्रशिक्षण की प्रतिभागियों की सूची						
क्र0 सं0	नाम	पद नाम	तैनाती का स्थान	ब्लॉक सी.एच.सी. / पी.एच.सी.	पूर्व में NSSK प्रशिक्षित हॉ / नहीं	मोबाइल नम्बर
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–औरैया, आगरा, अम्बेडकर नगर, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बरेली, चन्दौली, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जे0पी0 नगर, कानुपर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखनऊ, महोवा, मैनपुरी, मेरठ, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, संतकबीर नगर, श्रावस्ती, सीतापुर, सोनभद्र एवं सुल्तानपुर।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NSSK/18–12/2015–16/ दिनांक 9/09/2016

विषय–नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) का जनपद स्तरीय 2 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एवं गतिविधियॉ चलाई जा रही हैं। यथा जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम आदि।

शिशु मृत्युदर में नवजात शिशु मृत्युदर का प्रतिशत काफी अधिक होता है। जनपद के 24 घन्टे प्रसव सेवा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रसव कक्ष में तैनात चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को नवजात शिशु की विशेष सुरक्षा प्रदान करने तथा क्षमतावर्द्धन के लिये 2 दिवसीय नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) का प्रशिक्षण वर्ष 2010–11, वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में प्रदान किया जा चुका है।

जनपदों में भ्रमण के मध्य यह संज्ञान में आया कि कुछ स्वास्थ्य इकाईयों के स्टाफ के स्थानान्तरित, सेवानिवृत होने तथा स्किल में और सुधार लाने के दृष्टिगत उक्त कौशल प्रशिक्षण को पुनः रिफ्रैशर प्रशिक्षण के रूप में प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को प्रदान किया जाये जिसमें रेडियेन्ट वार्मर के उपयोग एवं बैग एण्ड मास्क के रखरखाव पर विशेष बल दिया जाये।

नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) के अर्न्तगत जनपद में 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जाने के दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं, जो निम्नवत हैं –

नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) का जनपद स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश

1–प्रशिक्षण स्थल का चयन

- नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम **(NSSK)** का जनपद स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण ज़िला महिला चिकित्सालय में दिया जायेगा।
- प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिये ऐसी जगह की व्यवस्था की जाए जहाँ 8–8 प्रतिभागियों तथा 3 प्रशिक्षकों को बैठने के लिये 3 ऐसे कमरे उपलब्ध हों जहॉ बिजली आदि की समुचित व्यवस्था हो। प्रशिक्षण अलग–अलग ग्रुप में दिया जायेगा, मगर कभी–कभी आवश्यकतानुसार सभी प्रतिभागियों को एक ग्रुप में बैठा कर भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- प्रशिक्षण में 3 स्किल स्टेशन बनाने हैं, मतलब यह कि एक बड़ी मेज़, 8–8 कुर्सियॉ प्रतिभागियों के लिये तथा 1–2 कुर्सी प्रशिक्षक के लिये जिससे कि डिमॉन्सट्रेशन अच्छी तरह से किया जा सके।
- यदि जिला महिला चिकित्सालय में स्थान की कमी हो तो ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र में व्यवस्था की जाये परन्तु रेडियेन्ट वार्मर एवं प्रसव कक्ष में प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री के लिये प्रतिभागियों को जिला महिला चिकित्सालय ले जा कर उनको वास्तविक सामग्री का प्रर्दशन कराया जाये।
- प्रशिक्षण बैच में अधिकतम 24 प्रतिभागी भाग ले सकते है। प्राथमिकता के अनुसार एक्रिडेटिड उपकेन्द्र/Level-1 Centers को संत्रप्त किया जाये। जिला महिला चिकित्सालय/सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर यदि कोई स्टाफनर्स व ए0एन0एम0 जिन्होंने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा नहीं प्राप्त किया सभी को **रिफ्रैशर प्रशिक्षण** के लिये आमंत्रित किया जाये इस वर्ष जिला महिला

चिकित्सालस/सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्टाफ किसी भी दशा में अप्रशिक्षित न रह जाये।

- जनपद स्तर पर NSSK प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर से राय–मशवरा कर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लें।

2–प्रशिक्षकों का चयन एवं प्रशिक्षण –

- राज्य स्तर से प्रत्येक बैच के लिये 1–2 प्रशिक्षकों का चयन कर नाम व सम्पर्क दूरभाष संख्या अवगत करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में पूर्व में प्रशिक्षित 4 प्रशिक्षकों में से 2–3 प्रशिक्षिक को लिया जायेगा, इस प्रकार से कुल 4 प्रशिक्षकों द्वारा एक सत्र को संचालन किया जायेगा।
- यह प्रशिक्षण मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला चिकित्सालय द्वारा नोडल अधिकारी प्रशिक्षण/आर0सी0एच0 के सहयोग से प्रशिक्षण पूर्ण कराया जायेगा।
- स्थानीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण के दौरान अन्य कार्यों से मुक्त रहेंगे तथा प्रशिक्षण में पूर्ण समय देंगे तथा समय से प्रतिभाग करेंगे।

3–प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना

- प्रतिभागियों को प्रशिक्षण मॉड्यूल, उपलब्ध कराये जायेंगे। माड्यूल के अतिरिक्त फोल्डर ,पेन, पेन्सिल, रबर, कटर, पैड, प्रमाण पत्र, अन्य प्रशिक्षण सम्बन्धी पत्र–प्रपत्र आदि की व्यवस्था कन्टिजेन्सी मद से समय से कर ली जाय।
- प्रशिक्षण के दौरान प्री–टेस्ट, पोस्ट–टेस्ट, किया जायेगा। प्रपत्रों की फोटोस्टेट कॉपी तैयार कर ली जाये। सभी प्रतिभागियों के प्री एवं पोस्ट टेस्ट के अंक रजिस्टर में दर्ज कर समीक्षा की जाये।
- प्रशिक्षण से पूर्व संलग्न तालिका के अनुसार प्रशिक्षण सामग्री आदि की समुचित व्यवस्था कर ली जाये।
- प्रशिक्षण के लिये मेंनीक्वीन एवं मॉड्यूल की व्यवस्था "सेव द चिल्ड्रन" द्वारा की जा रही है। यदि पूर्व में उपलब्ध कराई गयी मेंनीक्वीन उपलब्ध हों तो उनको भी प्रशिक्षण में उपयोग में लाया जाये।
- **प्रशिक्षण के समय एल0सी0डी0 प्रोजेक्टर की आवश्यकता होगी जिसे किराये पर IOH (Institutional overhead) मद में उपलब्ध धनराशि से व्यय किया जा सकता है।**

4–प्रतिभागियों का चयन–

- प्रतिभागियों का चयन सबसे महत्वपूर्ण है।
- जनपद में 24 घन्टे प्रसव सेवा वाले जिला महिला चिकितसालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ चयनित उपकेन्द्र के पूर्व में प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित स्टाफ नर्स एवं एक्रिडेटिड उपकेन्द्र/Level-1 Centers पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मी (ए0एन0एम0) की सूची तैयार कर ली जाय। **अन्य उपकेन्द्र जहॉ डिलवरी नहीं हो रही हैं उन ए0एन0एम0 को इस प्रशिक्षण में अग्रिम आदेशों तक न बुलाया जाय।**
- प्रतिभागियों को बैचवार सूचीबद्ध कर लिया जाये तथा प्रशिक्षण कलैन्डर के अनुसार प्रतिभागियों को समय से सूचित कर दिया जाय।
- यदि किसी कारण से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतिभागी नहीं आये हों तो जिला महिला चिकित्सालय से प्रतिभागियों को बुलाया जाये।
- प्रशिक्षकों का यह दायित्व होगा कि प्रशिक्षण आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि कोई भी प्रतिभागी एसे स्थान से न आयें जहॉ डिलीवरी नहीं होती है यदि कोई प्रतिभागी एसे स्थान से आ गयी हों जहॉ डिलवरी नहीं होती है तो उन्हें वापस भेज दें तथा राज्य स्तर के अधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित कर दें।

5–ओस्की (Objective Structured Clinical Examination)

प्रशिक्षण के आरम्भ में सभी प्रतिभागियों की प्रसव केन्द्रों पर तैनाती की जानकारी करते हुये समय से ही ओ0स्की0 (Objective Structured Clinical Examination) अवश्य करें तथा अभिलेख को सुरक्षित रखें। प्रशिक्षण के उपरान्त भी ओ0स्की0 परीक्षण किया जाना है।

6– ज़िला मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका के दायित्वः–

यह प्रशिक्षण ज़िला महिला चिकित्सालय में चलाया जाना है, अतः नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को आयोजित करने एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सभी व्यवस्था को नोडल अधिकारी प्रशिक्षण/सी0सी0एस0पी0 प्रशिक्षण प्राप्त नामित अधिकारी के सहयोग से प्रशिक्षण आयोजन से पूर्व तैयारी करेंगी जिसमें बैठने, खाने पीने, तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता हेतु सभी आवश्यक लॉजिस्टिक एवं अन्य की व्यवस्था पूर्ण करेंगी। यदि वे मेडिकल कॉलेज में उक्त का प्रशिक्षण प्राप्त हैं, तो उपरोक्त की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण टीम में प्रतिभागियों को स्किल प्रशिक्षण दे सकती हैं।

7– नोडल अधिकारी प्रशिक्षण/सी0सी0एस0पी0 प्रशिक्षण प्राप्त नामित अधिकारी के दायित्वः–

अवगत कराना है कि प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण मॉडयूल की व्यवस्था की जा रही है। प्रशिक्षण मॉड्यूल को प्रशिक्षण से पूर्व ज़िला मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका को उपलब्ध करा दें। पत्र में दिये गये दिशा निर्देशानुसार प्रशिक्षण से पूर्व आवंटित धनराशि मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका ज़िला महिला चिकित्सालय को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर अवमुक्त करा दें, जिससे कि प्रशिक्षण के संचालन में किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। प्रशिक्षण बैचों मे आने वाले **प्रतिभागियों को समय से सूचीबद्ध कर लें।** प्रतिभागियों को निर्देशित कर दें कि चूँकि उक्त प्रशिक्षण केवल दो दिन का है अतः सभी प्रतिभागी प्रातः 9:00 से सांय 5:30 तक अपनी उपस्थित सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थित में उन्हें वापस कर आगामी बैच हेतु आमन्त्रित करें।

8– राज्य स्तर से नामित प्रशिक्षक एवं ज़िला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के दायित्वः–

प्रत्येक जनपद में 4 प्रशिकों को को टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण दिलाया गया है, इस प्रकार से जनपद स्तर पर 4 जनपदीय प्रशिक्षक उपलब्ध हैं। कहीं–कहीं 4 से कम भी प्रशिक्षक उपलब्ध हैं। व्यवस्था इस प्रकार से की जा रही है कि प्रत्येक बैच में कुल 4 प्रशिक्षक होंगे जिसमें से 1 प्रशिक्षक राज्य स्तर से नामित प्रशिक्षक होंगे तथा 3 प्रशिक्षक जनपदीय कुल 4 प्रशिक्षक होगें। प्रशिक्षण से पूर्व तीनों प्रशिक्षक आपस में प्रशिक्षण की तैयारी जैसे स्थान, लॉजिस्टिक, प्रशिक्षण किट तथा अन्य व्यवस्था को चेक कर लें एवं प्रशिक्षण आरम्भ करने से 1–2 दिन पूर्व प्रशिक्षण स्थल पर पहुँच कर प्री–टेस्ट एवं अन्य प्रोफॉर्मा आदि को व्यवस्थित कर लें। आपस में तालमेल हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल को पूर्व में अध्ययन कर प्रशिक्षण की कार्ययोजना आपस में समझ लें।

9–वित्तीय दिशा निर्देश

- प्रशिक्षण के संचालन की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला चिकित्सालय की होगी। प्रशिक्षण की सम्पूर्ण आवंटित धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति से मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, ज़िला महिला चिकित्सालय द्वारा खोले गये खाते में समय से स्थानान्तरित कर दी जाये, जिससे प्रशिक्षण में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
- इस कार्यालय के पत्र संख्या–**एस0पी0एम0यू0/CH/NSSK/18–12/2015–16/10455–35, दिनांक 15/02/2016 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा आपके स्तर पर इस धनराशि को वर्ष 2016–17 में व्यय करने हेतु कमिटेड किया जा चुका है।**
- प्रशिक्षको एवं प्रतिभागियों का मानदेय का भुगतान तालिका में दी गयी दर से किया जाना है।
- बाहर से आने वाले प्रशिक्षकों को यात्रा भत्ता एवं ठहरने का भुगतान नियमानुसार वास्तविक व्यय के अनुसार तालिका में दी गयी सीमा तक किया जायेगा, प्रमाण स्वरूप टिकट आदि सुनिश्चित कर ली जाय।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों एवं प्रशिक्षकों को नाश्ता, दो समय की चाय, दोपहर का भोजन, स्वच्छ पेय जल, की समुचित व्यवस्था की जानी है जिसके लिये प्रति प्रतिभागी प्रति दिन के हिसाब से रू0 250/– की धनराशि दी जा रही है।
- कन्टीजेन्सी मद में रू0 150/– प्रति प्रतिभागी प्रति दिन के अनुसार प्राविधानित है।

प्रशिक्षण हेतु मानक

जनपद स्तरीय 2 दिवसीय रिफ्रेशर अवमुक्त की गयी धनराशि को निम्न तालिकानुसार व्यय किया जाना है–

Budget Norm for Organizing 3 Days Refresher Training of NSSK 2016-17					
S. N.	Head	Unit Cost	No. of Units	No. of Days	Total Amount (Rs.)
1	Honorarium to Guest trainers (Nominated from State)	1000	1	2	2000
2	Honorarium to Guest trainers (Local Trainers)	600	3	2	3600
3	Accomodation to State Guest trainers - as per actuals	2000	1	2	4000
4	Honorarium to participants -S/N and ANM	300	24	2	14400
5	Refreshment (Lunch & tea and Dinner)	250	24	2	12000
6	Contingency (Including POL, Stationary etc)	150	24	2	7200
7	TA to Guest trainers (Maximum , but as per actual)	2500	1	1	2500
8	TA to participants -as per actuals	250	24	1	6000
9	IOH (Incidental Overhead) 15 %		1	1	6400
I	**Total**				**58100**
	Note: In one batch 24 participants will be invited for the NSSK Trained SN & ANMs				
Observer Visits per batch -only in about 25 percent of total batches organized in a year					
1	Honorarium to state/divisional observer	1000	1	1	1000
2	Accomodation to state/divisional observer	2500	1	1	2500
3	TA for observer (as per actual)	3500	1	1	3500
II	**Total**				**7000**
	Grand Total				**65100**

नोटः–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशानिर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी** एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।

9. प्रत्येक माह नवजात शिशु सुरक्षा (NSSK) कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0 एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–

नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण नोडल अधिकारी प्रशिक्षण/समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम (सी0सी0एस0पी0) के जनपदीय नोडल अधिकरी द्वारा किया जाये।

- नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) के अन्तर्गत जनपद में 2–दिवसीय प्रशिक्षण के गुणवत्ता बनाये रखने के लिये मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा समय समय पर केन्द्र का अनुश्रवण करेंगे। परिवार कल्याण महानिदेशालय, एवं एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 के अधिकारियों तथा यूनिसेफ/सेव द चिल्ड्रेन/टी0एस0यू0 के प्रतिनिधियों द्वारा द्वारा भी औचक निरीक्षण किया जायेगा।
- उक्त प्रशिक्षण को नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी अपने नेतृत्व में प्रशिक्षण सत्र को सफलता से संचालित करायेंगे। प्रतिभागियों/ट्रेनर्स के टी0ए0/डी0ए0 का समुचित नियमानुसार भुगतान करेंगे। प्रतिभागियों/मास्टर ट्रेनर्स को उनके ठहरने के लिये फेसिलीटेट/व्यवस्था करने में सहयोग करेंगे। **संलग्न प्रारूप** पर भौतिक एवं वित्तिय रिपोर्ट **एक सप्ताह के अन्दर** मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजी जाय, जिसकी एक प्रति परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं एस0पी0एम0यू0–एन0एच0एम0 को भेजी जाय।
- प्रशिक्षण कोर्स रिपोर्ट/प्रतिभागियों का फीडबैक/अन्य टिप्पणी व्यय विवरण के साथ भेजी जाय।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NSSK/18–12/2015–16/5465-35-9 दिनांक /09/2016

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. **महानिदेशक,** परिवार कल्याण, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
3. **सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
4. **सम्बन्धित प्रमुख/मुख्य** चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/सुयक्त चिकित्सालय को इस अनुरोध के साथ कि वे मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण को पूर्ण करायें।
5. **वित्त नियंत्रक,** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश।
6. **सम्बन्धित मण्डलीय/जनपदीय** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
7. **सम्बन्धित** जनपदीय स्तरीय नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) प्रशिक्षक।
8. **राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक,** सेव द चिल्ड्रेन, 2/328 विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
9. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ**, बी–3/258,विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य